

ICCPR की चौथी आवधिक समीक्षा

स्रोत: वदिश मंत्रालय

भारत ने जनिवा में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) के अंतर्गत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की।

- ICCPR एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो अन्य प्रमुख दस्तावेजों के साथ मलिकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वधियक का निर्माण करती है। यह देशों को जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा तथा संरक्षण करने के लिये बाध्य करता है।
 - संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1966 में अपनाया गया। ICCPR वर्ष 1976 में लागू हुआ और वर्ष 1979 में भारत सहित 173 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया एवं इसकी तीन पूर्व समीक्षाएँ हो चुकी हैं व नवीनतम समीक्षा वर्ष 2024 में होगी।
 - चौथी आवधिक समीक्षा में भ्रष्टाचार वरिधी उपाय, गैर-भेदभाव, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार, आतंकवाद-नरिधी, न्यायिक ढाँचे तथा गोपनीयता कानून सहित विविध मुद्दों को शामिल किया गया।
- अन्य मुख्य संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन और प्रोटोकॉल जिनका भारत हिस्सा है, उनमें शामिल हैं:
 - [ICERD \(नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उनमूलन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन\)](#)
 - [CEDAW \(महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उनमूलन पर कन्वेंशन\)](#)
 - [CRC \(बाल अधिकारों पर कन्वेंशन\)](#)

और पढ़ें: [वरिधी करना एक मौलिक अधिकार है: संयुक्त राष्ट्र](#)